# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 48/2018/प्रा.पत्र/2018 | 16.08.2018 | 23.01.2010 |

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कुंजबिहारी साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं0 6 उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 23.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.05.2018 को समय 1.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री कुंजबिहारी साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं0 6 उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **फैट फोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** जिसके बैंच नम्बर अनुपस्थित एंव पैकिग की दिनांक अनुपस्थित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री कुंजबिहारी साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कुंजबिहारी साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे फ्रीजर मे 4.50 लीटर पैक के लगभग 40 पैकेट मीडियम **फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** रखे हुये मे से ज्यो का त्यो पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील के जंग मे 1200 ग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री कुंजबिहारी साहू को रू0 180/—अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** को ज्यो का त्यो प्रत्येक शिशी मे 300—300 ग्राम भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग मे 40 प्रतिशत फारमेलिन की 24—24 बूंदे डालकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से बंद अच्छी तरह एयर टाइट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I—1897 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1897 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. कुंजबिहारी साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/1529 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/275/एक्ट/2018/281 दिनांक 22.05.2018 अनुसार कुंजबिहारी साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एंव दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **फैट फोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फैट फोजर्न डेजर्ट (ब्लैक बैरी)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री कुंजबिहारी साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं0 6 उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000(अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.01.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0



Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.19 15:20:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: